

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा / माध्य / शालादर्पण / 2024 /

दिनांक :— मार्च 2024

- 1— समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा राजस्थान।
- 2— समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
- 3— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
- 4— समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
- 5— समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
- 6— समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेश ब्लॉक संन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
- 7— समस्त संस्था प्रधान / पीईईओ / यूसीईईओ राजकीय विद्यालय।

**विषय :- कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र-10 को शत-प्रतिशत लॉक एवं सत्यापन बाबत।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शाला दर्पण पोर्टल के कार्मिक प्रपत्र-10 में समस्त कार्मिकों की बेसिक सूचना, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता, सेवा विवरण, विभागीय प्रशिक्षण, वेतन विवरण इत्यादि सूचनाये ली जाती है। उक्त प्रपत्र में दर्ज सूचनाओं के आधार पर विभाग को विभिन्न आवश्यकताओं यथा पदोन्नति, स्थानान्तरण, विभिन्न आवेदन इत्यादि हेतु डाटा उपलब्ध करवाया जाता है साथ ही कार्मिक से संबंधित समस्त आवेदन भी कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र-10 में दर्ज सूचनाओं के आधार पर किये जाते हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि लॉक एवं वेरीफाई से शेष कार्मिकों के प्रपत्र-10 को पूर्ण कर शत प्रतिशत लॉक एवं वेरीफाई करवाना सुनिश्चित करें। दिनांक 31 मार्च 2024 के बाद राज्य स्तर से लॉक करते हुये अनलॉक की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

(आशीष मोदी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प./जय/शालादर्पण/2024/

दिनांक :— मार्च 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. रक्षित पत्रावली।